उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1
संख्या-18/2016/1392/62-1-2016-45जीडब्लू/2015
लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर,2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1435/62-1-2015-45जीडब्लू/2005, दिनांक 04 दिसम्बर,2015 के क्रम में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-17/2016/1220/62-1-2016-45जीडब्लू/2015, दिनांक 25 अक्टूबर,2016 द्वारा क्षेत्रीय सहायक के 01 नि:संवर्गीय अस्थाई पद के सृजन के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भूगर्भ जल विभाग में बढते कार्य दायित्वों के दृष्टिगत उक्त नि:संवर्गीय अस्थाई पद पर वेतन वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन रू0 1900/- में श्री मो0 इकबाल सिददीकी सेवानिवृत्त क्षेत्रीय सहायक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की अवधि हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुन: पुनर्योजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्योजन की अवधि में श्री मो0 इकबाल सिददीकी को अस्थाई सरकारी सेवक माना जायेगा ।

(2) श्री मो0 इकबाल सिददीकी को पुनर्योजन की अवधि में प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्व पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम इसमें जो भी कम हो, से अधिक न होगा । पुनर्योजन की अवधि में उन्हें शुद्व वेतन तथा शुद्व पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी ।

(3) श्री सिददीकी को उक्त अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम 157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थाई कर्मचारियों की भांति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा ।

(4) उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

(5) पुनर्योजन की अवधि में श्री सिददीकी को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्व पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे ।

(6) श्री सिददीकी को उक्त अवधि में अस्थाई तदर्थ पेंशन की वृद्वि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।

(7) उक्त नि:संवर्गीय पद की प्रास्थिति क्षेत्रीय सहायक पद के समकक्ष होगी और श्री सिददीकी को वही सुविधायें अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण योजना" के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-2-962(1)/दस-2016, दिनांक 19-10-2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

राजीव रौतेला
विशेष सचिव।

संख्या-18/2016/1392(1)/62-1-2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ ।
(6) अधीक्षण अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल-प्रथम,बरेली ।
(7) संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल-द्वितीय, इलाहाबाद ।
(8) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3,उत्तर प्रदेश शासन ।
(9) सम्बन्धित कार्मिक द्वारा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(10) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(11) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।